पंजीकृत/महत्वपूर्ण/ई–मेल

कार्यालय मण्डलीय उपनिदेशक, (पंचायत)
विन्ध्याचल मण्ड़ल, मिर्ज़ापुर।

पत्रांक– /मं0पं0/जनसूचना/2024–25 दिनांक: 03/04/2025

जन सूचना अधिकारी/जिला पंचायत राज अधिकारी,
जनपद–मिर्ज़ापुर।

विषयः–जन सूचना अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 19 (1) के अन्तर्गत प्राप्त ऑनलाइन अपील संख्या–DIRPR/A/2025/60275 के निस्तारण हेतु सुनवाई के सम्बन्ध में।

उपर्युक्त विषयक, श्री योगी एम.पी. सिंह, मोहल्ला सुरेकापुरम, जबलपुर, जनपद–मिर्ज़ापुर के ऑनलाइन अपील संख्या–DIRPR/A/2025/60275 दिनांक 17.03.2025 प्राप्त हुआ है, जिसके द्वारा अवगत कराया गया है कि ऑनलाइन आवेदन संख्या–DIRPR/R/2025/60094 दिनांक 23.01.2025 के द्वारा मांगी गई सूचना समयान्तर्गत प्राप्त न होने के कारण ऑनलाइन अपील की गई है।

चुंकि जनपद स्तर पर जन सूचना अधिकारी आप तथा सहायक जन सूचना अधिकारी, अपर जिला पंचायत राज अधिकारी (प्रशा0) शासन द्वारा नामित है, इसलिए जनपद स्तर पर प्राप्त ग्राम पंचायतों से सम्बन्धित चाही गई सूचना के प्रकरणों का निस्तारण कराना आपका दायित्व है।

उक्त के क्रम में अपीलीय प्रार्थना पत्र के निस्तारण हेतु **अधोहस्ताक्षरी कार्यालय में दिनांक 26.04.2025 को प्रातः 11.00 बजे अधोहस्ताक्षरी द्वारा सुनवाई** की जायेगी।

अतः उक्त के क्रम में आपको निर्देशित किया जाता है कि अपीलकर्ता द्वारा चाही गई सूचना सुनवाई हेतु निर्धारित तिथि से 02 दिवस पूर्व अपीलकर्ता को सूचना उपलब्ध कराते हुए उपलब्ध कराई गई समस्त सूचना की एक प्रति के साथ निर्धारित तिथि व समय पर उपस्थित होकर वांछित सूचनाओं के सम्बन्ध में स्थिति स्पष्ट करते हुए अपना पक्ष भी प्रस्तुत करें, यदि अपरिहार्य कारणों से आप उपस्थित नहीं हो पाते है तो अपने स्थान पर सहायक जन सूचना अधिकारी(प्रशा0) को समस्त सूचनाओं सहित नियत तिथि को ससमय अधोहस्ताक्षरी कार्यालय में उपस्थित होने हेतु निर्देशित कर दे जिससे प्रकरण का निस्तारण किया जा सके। नियत तिथि को उपस्थित न होने की दशा मे आपके एवं अपर जिला पंचायत राज अधिकारी (प्रशा0) के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही हेतु संस्तुति कर दी जायेगी जिसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी आपकी होगी।

उल्लेखनीय है कि निर्धारित अवधि मे आवेदक को सूचना न उपलब्ध कराये जाने अथवा अपूर्ण/भ्रामक सूचना उपलब्ध कराने पर मा0 राज्य सूचना आयोग के द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा–20 के अन्तर्गत 250 रू0 प्रतिदिन की दर से सूचना उपलब्ध न कराये जाने की तिथि तक जिसकी सीमा अधिकतम 25000 रू0 तक हो सकती है। यदि आयोग द्वारा दण्ड अधिरोपित किया जाता है तो इसके लिए आप पूर्णतया जिम्मेदार होगें।

संलग्नकः–उपरोक्तानुसार।

(सतीश कुमार)
मण्डलीय उपनिदेशक(पंचायत)
विन्ध्याचल मण्डल, मिर्ज़ापुर।

पत्रांक– 45 /उक्तानुसार/दिनांकित

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

3. श्री योगी एम.पी. सिंह, मोहल्ला सुरेकापुरम, जबलपुर, जनपद–मिर्ज़ापुर को इस आशय से कि निर्धारित तिथि **दिनांक 26.04.2025 को प्रातः 11:00 बजे** अधोहस्ताक्षरी कार्यालय में उपस्थित होना सुनिश्चित करें, पंजीकृत।
4. मा0 राज्य सूचना आयोग, आर0टी0आई0 भवन, विभूति खण्ड, गोमती नगर लखनऊ।

मण्डलीय उपनिदेशक(पंचायत)
विन्ध्याचल मण्डल, मिर्ज़ापुर।